न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 39/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2017/00275

उनवान

1. दीवान उम्र 40 साल
2. मनोज उम्र 38 साल
3. राजू उर्फ राजवीर उम्र 35 साल
4. कुलदीप उम्र 30 साल

पुत्र स्व0 शंकर जाति गूजर नि0 सालाबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

रामदयाल पुत्र तेजी जाति जाटव निवासी नगला मेद सिंह तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना 07.09.2017 उनवानी रामदयाल बनाम दीवान वगै0 मु0न0 174/2015

उपस्थितिः–

1. श्री मनोज सोलंकी वकील अपीलांट।
2. श्री अतर सिंह कैन वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 04.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पोडेण्ट की ओर से अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अजनोली तहसील बयाना में प्रार्थी/रैस्पो0 73/77 हिस्सा का व तरतीवी प्रतिवादी 4/77 हिस्से

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-बयाना

का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थी/रैस्पो0 व तरतीवी प्रतिवादी के मध्य मनवट के आधार पर उसके 4/77 हिस्सा का अलग से खसरा नम्बर 206 में दे रखा है जिस पर उसने अपने हिस्से की जमीन में अलग से बाउण्ड्री करा रखी है। गैर सायलान/अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। वह एक सरगना, लठैत आदमी हैं एवं जाति से गूजर हैं । गैर सायलान/अपीलाण्ट नाजायज गिरोह बनाकर, प्रार्थी/रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 205 पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के निस्तारण होने तक कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ होने के कारण अपास्त योग्य है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर काश्त दर्ज नहीं है बल्कि रैस्पो0 की चारो ओर से पुख्ता चार दीवारी बनी हुई है व उक्त खसरा नम्बर में मकान भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के जवाव पर गौर नहीं किया है जबकि उक्त खसरा नम्बर 205 के पूर्व की तरफ अपीलाण्ट के पूर्वज एवं शंकर की 50 वर्षो से दुकानें बनी हुई थी। जिनकी पैमाईश उत्तर की तरफ 20 फीट दक्षिण की तरफ 20 फीट इसके बाद धर्मशाला मन्दिर हनुमानजी महाराज एवं पूर्व पश्चिम 32–32 फीट है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य विधुत बिल या मन्दिर धर्मशाला पर गौर नहीं कर अपीलाण्ट की पैतृिक दुकान पर भी गौर नहीं किया एवं मौके व दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय तहत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेण्ट का जवाबी बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। वह एक सरगना, लठैत आदमी हैं एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-बयाना

जाति से गूजर हैं । गैर सायलान/अपीलाण्ट नाजायज गिरोह बनाकर, प्रार्थी/रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 205 पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त पहलुओं को दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचन करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी कभी उनके नाम रही हो अथवा उनका कब्जा काश्त हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 153 में विवादित आराजी पर रामदयाल पुत्र तेजी व लक्ष्मण पुत्र ठकुरी कौम जाटव खातेदार दर्ज अभिलेख होनें से, अपीलाण्ट का विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया स्वत्व नहीं बनता है। लिहाजा सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर, रैस्पो0 के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व कानून की परिधि में सही निर्णय पारित किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

04.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर